



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239607
CG-DL-E-13102022-239607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4644]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944

No. 4644]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4854(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4808(अ) तारीख 22 नवम्बर, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH39 के कि.मी. 76.3 से कि.मी. 111.872 (एस.डी. एम कार्यालय नौगांव) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 फरवरी, 2022" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH39 के कि.मी. 76.3 से कि.मी. 111.872 (एस.डी. एम कार्यालय नौगांव) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: छतरपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नौगाँव				
	गांव का नाम: बिलहरी				
1	1057/2/1	निजी	इरगेयिटिड्	0.428	जितेन्द्र सिंह पुत्र भुमानी सिंह नि0 छतरपुर (1057/2/1)
2	1059/1/1	निजी	इरगेयिटिड्	0.066	मनीषा पत्नी पंकज दुबे नि0 छतरपुर (1059/1/1)
3	1059/2/1	निजी	इरगेयिटिड्	0.065	प्रीतम, जीतेन्द्र पुत्र भुमानी सिंह नि0 नौगांव (1059/2/1)
4	1060/1/1	निजी	इरगेयिटिड्	0.175	मनीषा पत्नी पंकज दुबे नि0 छतरपुर (1060/1/1)
5	1076	निजी	अन्-इरगेयिटिड्	0.014	तंशा, झगडू, कन्नू, पल्लन पिता धनुवा नि. ग्राम बिलहरी (1076)
6	1081/1/1	निजी	इरगेयिटिड्	0.063	कमला पुत्र कुटुवा नि0 बिलहरी (1081/1/1)
7	1085/1	निजी	अन्-इरगेयिटिड्	0.016	रूबी पुत्री मोतीलाल नि0 बिलहरी (1085/1)
8	1087/1	निजी	अन्-इरगेयिटिड्	0.091	कमला, मोतीलाल पुत्र कुटुवा नि0 नौगांव छतरपुर म.प्र. (1087/1/1, 1087/1/2)
			कुल	0.918	

[फा. सं. NHA/BOT/DBFOT/11012/09/2007/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4854(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 4808(E) dated the 22nd November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH39 on the stretch of land from Km. 76.3 to Km. 111.872 (S. D. M Office Nowgong) in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Pressh” both dated 19th February, 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH39 in the stretch of land from Km. 76.3 to Km. 111.872 (S. D. M Office Nowgong) in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: CHHATARPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nowgaon				
	Village: Bilhari				
1	1057/2/1	Private	Irrigated	0.428	Jitendra Singh S/o Bhumani Singh R/o Chhatarpur 1057/2/1
2	1059/1/1	Private	Irrigated	0.066	Manisha W/o Pankaj Dubey R/o Chhatarpur 1059/1/1
3	1059/2/1	Private	Irrigated	0.065	Preetam, Jitendra S/o Bhumani Singh R/o Nowgaon 1059/2/1
4	1060/1/1	Private	Irrigated	0.175	Manisha W/o Pankaj Dubey R/o Chhatarpur 1060/1/1
5	1076	Private	Un-Irrigated	0.014	Tansa, Jhagdu, Kannu, Pallan S/o Dhanuwa R/o Bilhari Chhatarpur 1076
6	1081/1/1	Private	Irrigated	0.063	Kamla S/o Katuwa R/o Bilhari 1081/1/1

7	1085/1	Private	Un-Irrigated	0.016	Rube D/o Motilal R/o Bilhari 1085/1
8	1087/1	Private	Un-Irrigated	0.091	Kamla, Motilal S/o Kutuwa R/o Bilhari Nowgaon 1087/1/1, 1087/1/2
			TOTAL	0.918	

[F. No. NHAI/BOT/DBFOT/11012/09/2007/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director